65वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील का राष्ट्र के नाम संदेश

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2011

प्यारे देशवासियो,

देश के 65वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मैं देश में तथा विदेशों में रहने वाले आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सशस्त्र सेना बलों, अर्धसैनिक बलों और आंतरिक सुरक्षा बलों को मैं इस अवसर पर खासतौर से बधाई देती हूं।

हमारे देश के इतिहास में यह एक विशेष दिन है जो हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जिनसे हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। आज हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आजादी की लड़ाई के अन्य नायकों सहित, अपने देश के उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने बहादुरी तथा साहस के साथ यह लड़ाई लड़ी। हमने यह आजादी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर पाई थी। इस कारण तथा दुनिया के दूसरे हिस्सों पर इसके परिवर्तनकारी प्रभावों के कारण, हमारी आजादी की यह लड़ाई असाधारण मानी जाती है। भारत के उदाहरण से एशिया और अफ्रीका में दमन तथा उपनिवेशवादी ताकतों के विरुद्ध आजादी की आवाज को प्रोत्साहन मिला। हम सभी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिसने ऐसे मूल्यों का पालन करते हुए अपनी महानता सिद्ध की है जिनकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई देती है। उस महान विरासत के उत्तराधिकारियों के रूप में हम पर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी है। हम इस तरह का आचरण करें जो भारत की एक प्रगतिशील तथा जिम्मेदार देश की छवि के अनुरूप हो जहां लोकतंत्र सौहार्द तथा सहनशीलता के मूल्यों का पालन किया जाता है।

हमारा देश आज एक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे बहुत से महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। ऐसा करते समय हमें इस बात की भी सावधानी बरतनी होगी कि

कहीं हम देश को मजबूत करने के अपने मुख्य लक्ष्य से भटक न जाएं। यह अवसर आत्म-मंथन का, सोच-समझ कर कदम उठाने का तथा भविष्य के लिए सही ढंग से तैयारी करने का है। पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब हमारे देश को कई सवालों का सामना करना पड़ा है और हमने इनके हल ढूंढे हैं। किसी भी देश की असली ताकत उसके सामने आने वाली चुनौतियों से नहीं बल्कि उनको हल करने के ढंग से आंकी जाती है। अतः हम जब भी स्थितियों का विश्लेषण करें, नीतियों का निर्माण करें, कानून बनाएं, योजनाओं को कार्यान्वित करें और कानूनों को लागू करें तब हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सारे क्रियाकलापों का उद्देश्य है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना और समाज में नैतिकता तथा मूल्यों को बनाए रखना।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश ने पिछले वर्ष 8.6 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करते हुए आर्थिक दृष्टि से अच्छी प्रगति की है। हम सभी के कल्याण और समावेशी विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए कृतसंकल्प हैं। भविष्य से हमें बहुत उम्मीद, बहुत संभावना, बहुत भरोसा तथा बहुत आशाएं हैं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रही हूं ताकि हम चुनौतियों का सामना करते समय, अपनी उपलब्धियों को, अपने भूतकाल को अथवा उन सिद्धांतों को जिन पर हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतंत्र निर्भर है, और विशेषकर, अपने भविष्य को नजरअंदाज न करें। आज हम क्या करते हैं अथवा हम सब कैसे निर्णय लेते हैं इससे हमारा भविष्य तय होगा। कर्तव्य के लिए पूर्ण समर्पण, आज की जरूरत है। सभी संस्थाओं और सभी नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधन खोजते हुए सूझ-बूझ और मैं कहूंगी, काफी आत्म-नियंत्रण से काम लेना होगा।

भ्रष्टाचार कैंसर है जो हमारे देश के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन पर असर डाल रहा है। इसे समाप्त करना जरूरी है। सरकार, संसद, न्यायपालिका तथा संपूर्ण समाज को इस पर चिंतन करना होगा और इसके समाधान के लिए ऐसे उपाय ढूंढ़ने होंगे जो व्यवहार्य, अपनाने योग्य और स्थाई हों। इस समस्या से निपटने के लिए केवल एक ही रामबाण अथवा औषधि नहीं हो सकती बल्कि इसके लिए विभिन्न स्तरों पर पारदर्शिता तथा जवाबदेही स्थापित करनी होगी और उसको

कारगर ढंग से लागू करना होगा। भ्रष्टाचार-निरोधी कार्यक्रम के अनुपालन के लिए निवारक तथा दण्डात्मक उपाय तो करने ही होंगे, साथ ही, सूझबूझ वाला नजरिया भी अपनाना होगा। भारत को धीर-गंभीरता तथा बुद्धिमत्ता के लिए और संतुलित तथा विवेकपूर्ण चिंतन के लिए जाना जाता है। जैसा कि हमारे एक श्लोक में कहा गया है, ''अति सर्वत्र वर्जयेत', जिसका अर्थ है, किसी भी प्रकार की अति को नहीं अपनाना चाहिए। हमें देश में मजबूत संस्थाओं की जरूरत है और सुशासन की जरूरत है। हमारी संस्थाओं को मजबूत किए जाने की और हमारी शासन व्यवस्था में लगातार सुधार की जरूरत है। हमें परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए और हमारे सामने मौजूद चुनौतियों का सोच-समझकर समाधान निकालना चाहिए।

अपनी पिछली उपलब्धियों को देखते हुए, हमें इस बात से संतोष मिलता है कि हमारे संविधान का मौजूदा ढांचा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। इसके तहत बनाई गई कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका जैसी संस्थाएं टिकाऊ रही हैं और उन्होंने अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। अधिकारों के पृथकीकरण तथा नियंत्रण और संतुलन की व्यापक व्यवस्था से हमारे देश को ऐसी शासन प्रणाली मिली है जो संतुलन बनाए रखती है क्योंकि हर-एक संस्था, दूसरी संस्था के उत्तरदायित्व के क्षेत्र का सम्मान करती है। संस्थाओं पर भरोसा, उनके आचरण पर निर्भर करता है, जो कि संवैधानिक ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए और इस योग्य बनाना चाहिए कि वे जरूरी होने पर सुधार के लिए कार्रवाई कर सकें। जानबूझकर अथवा अनजाने में ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए जिससे संस्था के ऊपर भरोसे और उसके प्राधिकार में कमी आए।

प्यारे देशवासियो,

संसद हमारे देश के सभी हिस्सों के लोगों तथा भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसके द्वारा बनाए गए कानून सामूहिक विचार-विमर्श तथा गंभीर चिंतन का परिणाम होते हैं। हमारे देश की संसद द्वारा कई मौलिक कानून बनाए गए हैं। नए कानून भी विधायिकाओं द्वारा बनाए जाएंगे। जनता

की राय प्रकट करने के लिए लोगों के बीच विचार-विमर्श, चर्चा तथा संवाद हो, यह सच्चे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इन विभिन्न प्रकार के सुझावों को, अपेक्षित कानून बनाने के लिए, चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेज कर रखना है और इसके लिए संसदीय प्रक्रियाओं की स्वस्थ परंपरा को बनाए रखना होगा। सांसद, राष्ट्र के विकास से संबंधित मामलों में, बहुत योगदान दे सकते हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे कुछ प्रशंसनीय प्रयास सामने आए हैं। इनमें से एक में विभिन्न दलों के युवा संसद सदस्य इकट्ठा होकर कुपोषण से संबंधित समस्याओं पर कार्य कर रहे हैं। मैं इस तरह के प्रयासों की सराहना करना चाहूंगी। ऐसे बहुत से मुद्दे हो सकते हैं जिनका सभी राजनीतिक दलों से जुड़े सांसदों द्वारा मिल-जुलकर समाधान किया जा सकता है।

इसके अलावा, मेरी यह राय है कि अच्छी चुनाव प्रक्रिया एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए, समय-समय पर, विभिन्न प्रस्ताव दिए गए हैं जिनमें चुनाव के लिए सरकार द्वारा फंड उपलब्ध कराना तथा चुनावों में अपराधियों के भाग लेने पर रोक लगाना भी शामिल है। हमें अपने लोकतंत्र के बेहतर संचालन के लिए तथा प्रणाली में शुद्धि लाने के लिए इन प्रयासों को अपनाने पर विचार करना होगा।

प्यारे देशवासियो,

हमारे देश में हाल ही में जनगणना का कार्य पूरा हुआ है। अब हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ है और यह दुनिया की आबादी का लगभग छठा भाग है। जनसंख्या का लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब हमारी जनता शिक्षित होगी और उसके पास आवश्यक कौशल होगा। इसके लिए उनकी क्षमता में वृद्धि हेतु उनकी शिक्षा तथा कौशल विकास पर ध्यान देना होगा ताकि देश की जरूरतें पूरी हो सकें। वे सर्विस सेक्टर, अत्याधुनिक विज्ञानों, निर्माण, उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमारे देश का यह स्वरूप इसके नागरिकों के अनुभवों, बलिदानों तथा कठोर परिश्रम का परिणाम है। भारतवासियों ने उत्तम उद्यम-शीलता का प्रदर्शन

किया है तथा उनकी सफलता के बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। वे जहां भी कार्य कर रहे हैं अथवा बसे हुए हैं, वहां उन्होंने देश के लिए सद्भावना अर्जित की है। उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। इसके अलावा, हमें अपने देशवासियों में बहुलवाद और सौहार्दपूर्ण जीवन तथा करुणा की भावना का भी समावेश करना होगा। यह उच्चतम मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की हमारी विरासत का हिस्सा है।

हमारे कार्यों का प्रमुख उद्देश्य सभी नागरिकों को प्रगति के अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी, भूख, बीमारी तथा निरक्षरता को समाप्त करना है। मैंने सदैव कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और जनता का कल्याण, ऐसे दो स्तंभ हैं जिन पर प्रगतिशील देश खड़ा होता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण योजनाएं तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, हमारे समावेशी कार्यक्रम का मूल भाग है। हमारे देश के अल्प-विकसित क्षेत्रों के लिए कई विशेष आर्थिक पैकेज भी मौजूद हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को हकदारी मिलती है जो चुनिंदा तबकों से हैं। उनको इसका लाभ प्रदान करना हमारा दायित्व है और यह लाभ उन तक न पहुंचना, हमारी विफलता है। इस कार्य में, स्वयंसेवी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिकों को, सरकारी प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। वे विकास के लिए सरकार के भागीदार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनका संचालन पारदर्शिता से और इसमें जवाबदेही तथा ईमानदारी का समावेश करके किया जाना चाहिए। विकास के लिए रखे गए संसाधनों की बर्बादी को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता।

हमें जनता की आर्थिक प्रगति में अंतर को कम करने का लगातार प्रयास करना होगा। हमारी 68 प्रतिशत जनता अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और इसमें से अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं। तथापि, कृषि क्षेत्र में हम अभी अपनी इष्टतम् क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमें कृषि में क्रान्ति के एक नए मॉडल की जरूरत है जिसमें खेती के काम के आरंभ होने से लेकर, फसल कटने तक तथा फसल की कटाई के बाद, उसके प्रसंस्करण तक सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। ऋण, बीज, खाद तथा कीटनाशक उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को अधिक सक्रियता से तथा एक-दूसरे के साथ तालमेल से कार्य करना होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी का अधिक

उपयोग होना चाहिए। इसके साथ ही, वर्षा सिंचित भूमि पर खेती से संबंधित मुद्दों और समस्याओं के समाधान पर खास ध्यान देना होगा, जिनमें मजदूरों की कमी का मुद्दा भी शामिल है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि मौजूदा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का उपयोग असिंचित भूमि या सूखी खेती करने वाले किसानों की जमीन पर कैसे किया जाए, चाहे वे किसान छोटे हों या बड़े हों। इससे काफी हद तक इन क्षेत्रों में कृषि को स्थिर बनाने में सहायता मिलेगी। देश में कृषि उत्पादों के लिए भंडारगृहों तथा शीत-भंडारों की सुविधा में वृद्धि करना जरूरी है। अलग-अलग स्थानों पर भंडारण से अनाज का वितरण न केवल आसानी से और शीघ्र हो पाएगा बल्कि यह एक किफायती विकल्प होगा और ढुलाई में अनाज की बर्बादी भी कम होगी। मैंने कई बार कारपोरेट जगत तथा लघु और मध्यम उपक्रमों का आह्वान किया है कि वे खासकर वर्षा सिंचित क्षेत्र के किसानों से गंभीरता से संपर्क करें। इससे उन्हें आपसी लाभ के लिए बहुत से अवसर मिलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, इस मामले में पहल कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ कृषि क्षेत्र के एकीकरण से, न केवल कृषि क्षेत्र को फायदा होगा साथ ही इससे अन्य क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यह चिंता की बात है कि हमारी जनगणना से यह भी पता चलता है कि 0-6 वर्ष तक के बच्चों के लैंगिक अनुपात में कमी आई है। अब यह घटकर एक हजार लड़कों के मुकाबले नौ सौ चौदह लड़कियों तक आ गया है। इससे हमारे समाज में लड़कों के लिए प्राथमिकता का तथा लड़कियों के साथ भेदभाव का पता चलता है। हमें ऐसे सामाजिक भेदभावों से लड़ना होगा जिनके चलते यह स्थिति पैदा हुई है और दहेज, बाल-विवाह तथा बालिका भ्रूण-हत्या जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के भी प्रयास करने होंगे। इनका हमें आज इक्कीसवीं सदी में भी सामना करना पड़ रहा है। देश के हर नागरिक को इन सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शपथ लेनी होगी। इन बुराइयों के खिलाफ पहले ही कानून मौजूद हैं परंतु हमें जागरूकता पैदा करनी होगी तथा इनका पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से बहुत सख्ती से निपटना होगा। महिला और पुरुष राष्ट्र-रथ के दो पहिए हैं और दोनों का मजबूत होना जरूरी है। महिलाओं में सामर्थ्य और क्षमता है। यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे किसी

भी क्षेत्र में योगदान कर सकती हैं। हमने अपने देश में स्व-सहायता समूहों की सफलता देखी है। इनमें लगभग 80 प्रतिशत, सर्व-महिला समूह हैं। ये समूह निम्न आर्थिक स्थिति में कार्यरत हैं तथा छोटे पैमाने पर अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इन समूहों ने महिलाओं को न केवल आर्थिक गतिविधियों के मौके उपलब्ध कराए हैं बल्कि उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाई है। सरकार को बढ़-चढ़कर इस आंदोलन को सभी जगह फैलाने के उपाय करने चाहिए। ये महिला सशक्तीकरण के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी होंगे।

प्यारे देशवासियो,

विश्व में आज दूरगामी परिणामों वाली विभिन्न घटनाएं सामने आ रही हैं। वैश्वीकृत दुनिया में इन घटनाक्रमों का सभी जगह प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी वर्ष 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामों से अवगत हैं। एक बार फिर विश्व अर्थव्यवस्था को अनिश्चित माहौल का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को तालमेल से कार्य करना होगा और हमारे देश को भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में मूलभूत सशक्तता तथा लचीलापन है और हमारे विस्तृत घरेलू बाजार निरंतर विकास दर बनाए रखने में सहायता दे सकते हैं। परंतु कीमतों में वृद्धि हमारे लिए चिंता का विषय है और इसका समाधान जरूरी है। बढ़ती हुई महंगाई परिवारों और खासकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हमारे देशवासियों को परेशान करती है। इसके प्रभाव को कम करने के उपाय ढूंढ़ने के प्रयास होने चाहिएं जिससे विकास से प्राप्त हुए लाभ उनके लिए निरर्थक न हो जाएं।

शांति के लिए सब तरफ खतरा बन चुके आतंकवाद से भी हम अवगत हैं। पिछले माह मुंबई पर हुआ आक्रमण हमें आतंकवाद से होने वाले विध्वंस की एक और कष्टकारी याद दिलाता है। हमें इस समस्या से निपटने के लिए, जो एक वैश्विक समस्या है, हर समय सतर्क बने रहना होगा।

प्यारे देशवासियो!

मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानन्द के शब्दों को दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा

था, ''मेरे देशवासियो, हमारा यह राष्ट्र रूपी जहाज युगों से यात्रा करते हुए सभ्यता का प्रसार कर रहा है और अपने विशाल खजाने से पूरे विश्व को समृद्ध बना रहा है।'' प्यारे देशवासियो! हमारे समक्ष यह चुनौती है कि हम अब देश को आगे किस तरह ले जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि हमें जो भी चुनौतियां मिल रही हैं हमने उनका उचित उत्तर ढूंढ़ा है, सम्मान के साथ उनका सामना किया है और हम अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए संगठित होकर कार्य करते रहे हैं।

कल सूर्योदय के साथ हमारा तिरंगा लहराएगा। मैं अपने सभी देशवासियों का आह्वान करती हूं कि आप देश की भलाई के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वह महत्त्वपूर्ण है। इसलिए इस बात का संकल्प लें कि आप पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से और स्वाभिमान की भावना के साथ कार्य करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक राष्ट्र के रूप में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं।

जय हिंद।